

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Ms. Upasna Goyal
Judicial Magistrate 1st Class,
Ludhiana

Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.
Shakil Ahmad
Next Date: 21-07-2026
CNR NO: PBLD03-028702-2024
Notice To: shakili ahmad : s/o jamil
ahmad, r/o gram bhatpura taran
post mulla khera, rampur- 244921,
uttar pradesh

Whereas it has been proved to the
satisfaction of this court that you the
accused above named cannot be served
in the ordinary way of service. Hence this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 21-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal of
the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana)
JMJC, Ludhiana

Criminal Courts Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg JMIC
Ludhiana CNR NO: PBLD03-089260-2023
COMA/9231/2023 Peshi: 21-07-2026

notice publication for proclamation under
section 82 CRPC Complaint R/w Sec- 138 of N.I.A.Ct
M/s Shree Impex Vs.
M/s shree ram auto cable
Notice To: 1. m/s shree ram auto cable
through its prop./director c/o authorized
signatory vinod kumar sharma
2. vinod kumar sharma prop./director/m.d
authorized signatory of m/s shree ram
auto cable, address: 3251, sai krupa raw
house, opp. kshtrya wadi, chikhili, navsari,
gujarat

Whereas it has been proved to the
satisfaction of the court that you, the
accused above named cannot be served in
the ordinary way of service. Hence, this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 21-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above, the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal
of the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana)
JMJC Ludhiana

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Sh. Dasvinder singh
Judicial Magistrate 1st Class,
Ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Pansingh Karan
Next Date: 20-07-2026
CNR NO: PBLD03-049976-2024
Notice To: Pansingh karan : r/o h. no.
884, gali no. 9, subhash colony,
faridabad- 121004 haryana

Whereas it has been proved to the
satisfaction of this court that you the
accused above named cannot be served
in the ordinary way of service. Hence this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 20-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal of
the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana)
JMJC, Ludhiana
dated this day of

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Sh. Dasvinder singh
Judicial Magistrate 1st Class,
Ludhiana

Kotak Mahindra Bank
Vs.
Arvind Yadav
Next Date: 20-07-2026
CNR NO: PBLD03-049974-2024
Notice To: Arvind Yadav : R/o Sain
Vihaar, Ghaziabad- 201009, Uttar
Pradesh

Whereas it has been proved to the
satisfaction of this court that you the
accused above named cannot be served
in the ordinary way of service. Hence this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 20-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal of
the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana)
JMJC, Ludhiana
dated this day of

Criminal Courts Ludhiana

In The Court Of Ms. Kavita Garg JMIC
Ludhiana CNR NO: PBLD03-089260-2023
COMA/9231/2023 Peshi: 21-07-2026

notice publication for proclamation under
section 82 CRPC Complaint R/w Sec- 138 of N.I.A.Ct
M/s Shree Impex Vs.
M/s shree ram auto cable
Notice To: 1. m/s shree ram auto cable
through its prop./director c/o authorized
signatory vinod kumar sharma
2. vinod kumar sharma prop./director/m.d
authorized signatory of m/s shree ram
auto cable, address: 3251, sai krupa raw
house, opp. kshtrya wadi, chikhili, navsari,
gujarat

Whereas it has been proved to the
satisfaction of the court that you, the
accused above named cannot be served in
the ordinary way of service. Hence, this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 20-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal
of the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_
notice&district=ludhiana)
JMJC, Ludhiana
dated this day of

Criminal Courts Ludhiana

In the court of Sh. Dasvinder singh
Judicial Magistrate 1st Class, Ludhiana
Kotak Mahindra Bank Ltd
Vs.

Goldy traders
Next Date: 20-07-2026
CNR NO: PBLD03-054469-2024
Notice to: 1. Goldy Traders Through Its
Authorized Signatory Sunder, R/o H. No
103-17, Jharoda Kalan, Delhi- 110086,
Delhi 2. Sunder R/o 1153, Kanhawala
Road, Village Bawana New Delhi Delhi
110039 Delhi

Whereas it has been proved to the
satisfaction of this court that you the
accused above named cannot be served in
the ordinary way of service. Hence this
proclamation under section 82 CRPC is
hereby issued against you with a direction
that you should appear personally before
the court on 20-07-2026 at 10:00 a.m. or
within 30 days from the date of publication
of this proclamation. Take notice that, in
default of your part to appear as directed
above the above said case will be heard
and determined as per law, in your
absence, given under my hand and seal
of the court, for details login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana](https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n
otice&district=ludhiana)
JMJC, Ludhiana
dated this day of

COURT NOTICE

In The Court Of Ms. Samksha
Jain Judicial Magistrate First
Class-17 Jalandhar
Exclusive Leasing And
Finance Private limited
Vs.

Rahul Kumar
NACT/966/2025
CNR NO: PBLJ03-002459-2025
Next date: 17-07-2026

Detail of offence-
Notice To: Rahul Kumar : Sh.
Ram Chandra H. No. 598
Ganesh Pura Hapur 245101
Mobile No 99288 44812
In above titled case, the accused could
not be served. It is ordered that accused
should appear in person or through
counsel on 17-07-2026 at 10:00 a.m.
for detail login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?mod=dist
rict_notice&district=Jalandhar](https://highcourtchd.gov.in/?mod=dist
rict_notice&district=Jalandhar)
Judicial Magistrate First Class-17
Jalandhar
Dated, this day of 20-05-2026

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Yogesh
Gill Judicial Magistrate First
Class-20 Jalandhar
Exclusive Leasing And
Finance Private limited
Vs.

Kajal Devi
NACT/1495/2024
CNR NO: PBLJ03-004384-2024
Next date: 13-07-2026

complaint U/S 138 NI A.CT
Notice To: kajal devi c/o deepak
kumar r/o 558 jalapur bugrasi
siyana jalapur UP- 245403
In above titled case, the accused could
not be served. It is ordered that accused
should appear in person or through
counsel on 13-07-2026 at 10:00 a.m.
for detail login to:
[https://highcourtchd.gov.in/?mod=dist
rict_notice&district=Jalandhar](https://highcourtchd.gov.in/?mod=dist
rict_notice&district=Jalandhar)
Judicial Magistrate First Class-20
Jalandhar
Dated, this day of 22-05-2026

केन फिन होम्स लिमिटेड

ऑफिस नं. 02, द्वितीय तल, प्लॉट सं. बी-1, कासना टॉवर, अल्फा-1, कामश्चियल बेल्ट, ग्रेटर नोएडा (यूपी) पिन-201308
मोबाइल सं : 7625079164, 0120-4569974 ई-मेल: greaternoida@canfinhomes.com, CIN: L85110KA1987PLC008699

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु विक्री सूचना,
परिशिष्ट IV-A [नियम 8(6) के परंतुक द्वारा]

वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आसितियों की बिक्री हेतु विक्री सूचना।

एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(री) तथा गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रत्यभूत लेनदार के प्रमारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका कब्जा केन फिन होम्स लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा शाखा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, की तरफ से दिनांक 30.07.2026 को "जैसी है जहाँ है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहाँ है" आधार पर डिमांड नोटिस की संबंधित तारीखों के अनुसार संबंधित उधारकर्ताओं और गारंटरो से कैन फिन होम्स लिमिटेड के ब्याज और अन्य शुल्क जिनका नीचे उल्लेख किया गया है, वसूलने के लिए बेचा जाएगा।

क्र. सं.	उधारकर्ताओं और गारंटरो का नाम	देय राशि 23.06.2026 के अनुसार	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	कब्जे का प्रकार	संपत्ति का विवरण
1.	श्री दीपक चौहान (उधारकर्ता) और श्री पवन कुमार (सह-उधारकर्ता)	रु. 27.64,290 /- (रु. सत्ताईस लाख चौदह हजार दो सौ नब्बे मात्र)	रु. 21,70,000 /- (रुपये इक्कीस लाख सत्तर हजार मात्र)	रु. 2,17,000 /- (रुपये दो लाख मात्र)	रचनात्मक	प्लॉट नं. 20, तृतीय तल, खसरा नं. 1552, कैलाशपुरम 2 रईसपुर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201002। संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर अन्य प्रॉपर्टी, दक्षिण अन्य प्रॉपर्टी, पूर्व 20' चौड़ी सड़क, पश्चिम अन्य प्रॉपर्टी। मार - शूय
2.	स्वर्गयी श्रीमती आरती शर्मा पत्नी श्री कमल हसन के सभी कानूनी उत्तराधिकारी और श्री कमल हसन पुत्र बुन्दू खान (सह-उधारकर्ता)	रु. 5,74,322/- (रुपये पाँच लाख चौबत्तर हजार तीन सौ बाईस मात्र)	रु. 14,50,000/- (रुपये चौदह लाख पचास हजार मात्र)	रु. 1,45,000/- (रुपये एक लाख पैंतालिस हजार मात्र)	रचनात्मक	बी-83, एसएफ-07, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन-11, गाजियाबाद -201005. संपत्ति की चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर पार्क, दक्षिण प्लैट नंबर एस-9 फिर 60' चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लैट नंबर एस-6, पश्चिम: प्लैट नंबर एस-8 मार - शूय

विक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तें कैन फिन होम्स लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट (<https://www.canfinhomes.com/SearchAuction.aspx>) में उपलब्ध कराई गई हैं।

ई-नीलामी में भाग लेने के लिए लिंक www.auctionbazaar.com देखें।

दिनांक: 23.06.2026, स्थान: ग्रेटर नोएडा

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, कैन फिन होम्स लिमिटेड

कार्यालय वसुली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण- I, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

T.R.C. NO. 1422/2022
बिक्री उद्घोषणा सूचना
भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अय्यूब एवं अन्य
बैंक और वित्तीय संस्थान बकाया ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयाकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की घोषणा
(सीडी-1) मोहम्मद अय्यूब पूत्र श्री अनवर अहमद, निवासी प्लॉट संख्या बी-45, गुनी संख्या 2 / 4, राजीव नगर, मंडोली, दिल्ली - 110093। साथ ही सी-212, सहोद नगर, साहिबाबाद (उत्तर प्रदेश) - 201005। साथ ही: प्लॉट संख्या 1 से 4, खसरा संख्या 17 / 24, मुख्य 30 फीट रोड, राजीव नगर, मंडोली, दिल्ली - 110093।
(सीडी-2) मैसर्स इशान इन्फ्रास्ट्रस्ट्र इंडिया (प्रा.) लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: जी-56, पुष्कर एन्क्लेव, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली - 110063। साथ ही: कॉर्पोरेट कार्यालय: इशान कॉर्पोरेट टॉवर, सी-23, सेक्टर-13, वसुंधरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) - 201010।

उल्लिखित संपत्ति को दिनांक 29.07.2026 को सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा बेचा जाएगा, ताकि मोहम्मद अय्यूब से वसूली प्रमाण-पत्र के अनुसार माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी-1। द्वारा निर्धारित देय राशि रु 55,63,595.68 (पचास लाख तिरसठ हजार पाँच सौ पचासवें रुपये और अठसठ पैसे मात्र) तथा उस पर देय ब्याज एवं लागत (यदि कोई राशि पूर्व में वसूल की जा चुकी हो तो उसे घटाकर) की वसूली की जा जा सके।

संपत्ति का विवरण		संपत्ति के संबंध में, यदि कोई दावे प्रस्तुत किए जा सकें, संपत्ति नहीं बेची जाएगी		आरक्षित मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जाएगी	आरक्षित मूल्य का 10% या राउण्ड ऑफ ईएमपी
लॉट की संख्या	बेची जाने वाली संपत्ति का विवरण, जिसमें संस्था-स्वामित्व के नाम में शामिल हो-विशेषकर तब, जब संपत्ति किसी डिवाइडर और किसी अन्य व्यक्ति की संयुक्त स्वामित्व में हो	संपत्ति या उसके किसी भाग का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	किसी अन्य ऋणधार या व्यक्ति का विवरण, जिसके अधीन संपत्ति है	मूल्यांकन में, यदि कोई हो, तो प्रमाणपत्र कर्जदार द्वारा दिया गया मूल्यांकन भी बताया जाएगा	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					

- नीलामी / बोली केवल ई-नीलामी वेबसाइट अर्थात <https://baanknet.com> के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से होगी।
- इच्छुक प्रतिभासिताओं को ई-नीलामी में भाग लेने के लिए सेवा प्रदाता के साथ पहले से ही पंजीकरण करना आवश्यक और यूपीए आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना चाहिए। यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब अपेक्षित धरोहर राशि निर्धारित मंश में जमा की जाती है।
- ईएमपी 27.07.2026 को शाम 05:00 बजे तक वॉलेट / बैंक एसेट ऑनलाइन नेटवर्क (BAANKNET) <https://baanknet.com> पर जमा की जाएगी। उसके बाद जमा की गई ईएमपी को ई-नीलामी में भाग लेने हेतु विचार नहीं किया जाएगा।
- उपरोक्त के अतिरिक्त, कंपनी के मामले में पैर काउंड की प्रिंटे, पता प्रमाण एवं पहचान प्रमाण, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित बोर्ड रजिस्टार की प्रिंटे अथवा कंपनी के प्रतिनिधियों / एटॉनी की पुष्टि करने वाले किसी अन्य दस्तावेज की प्रिंटे तथा ईएमपी जमा राशि की रसीद / काउंटर फाइनल 27.07.2026 को शाम 05:00 बजे तक स्कैन कर ई-नीलामी वेबसाइट के माध्यम से सेवा प्रदाता के पास पहुँच जानी चाहिए। ईएमपी जमा रसीदों की हार्ड कॉपी भी वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में 27.07.2026 तक पहुँच जानी चाहिए। यही भी माना जाता है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि भुगतान के उसी तरीके के माध्यम से ऐसे बोलीदाताओं के संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
- संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं।

नीलामी एजेंसी का नाम	बैंक एसेट ऑनलाइन नेटवर्क (BAANKNET)
सार्वजनिक व्यक्ति	श्री उदय जाधव (बैंकनेट के अधिकृत अधिकारी)
हेल्पलाइन नं	+91-9820878255
हेल्पलाइन ई-मेल पता	Support.BAANKNET@psballiance.com
बैंक अधिकारी	चंद्र खोहर आजाद (मुख्य प्रबंधक), मोबाइल: 9742481771 अर्चना पात्र (प्रबंधक), मोबाइल नंबर: 9650469614, sbi.05169@sbi.co.in

- संबंधित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तें तथा प्रक्रिया के लिए वेबसाइट <https://baanknet.com> पर जाएं।
- संपत्ति आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।
- संपत्ति उपरोक्त लॉट में उल्लिखित आरक्षित मूल्य के 10% एक (01) लॉट में बेची जाएगी।
- बोलीदाताओं को संपूर्ण नीलामी अवधि के दौरान रु. 10,000/- के मुचुका में ऑनकर बद्धा संकेतें।
- संपत्ति "जहाँ है जैसी है" के आधार पर बेची जाएगी और ई-नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य नियमों और शर्तों के अधीन होगी।
- उपस्थान बोलीदाता को अपनी अंतिम बोली राशि का 25% वॉलेट बैंक एसेट ऑनलाइन नेटवर्क (BAANKNET) <https://baanknet.com> में पहले से भुगतान की गई ईएमपी के समायोजन के बाद तत्काल अगले बैंक कार्य दिवस शाम 4:00 बजे तक वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली प्रस्ता दी। आर सी. क्रमांक 1422 / 2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / से ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा।
- सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता को संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले बिक्री प्रतिफल राशि का शेष 75% जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल पहले बैंक कार्य दिवस पर वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली, खाता टी. आर सी. क्रमांक 1422 / 2022 के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / से ऑर्डर के माध्यम से जमा करना होगा। उपरोक्त के अलावा, क्रेता को रजिस्ट्रार, डीआरटी-I, दिल्ली के पक्ष में बिक्री प्रतिफल राशि पर 1% पारसेज्ड शुल्क (लस 10 रुपये) भी जमा करना होगा। पारसेज्ड शुल्क के लिए वैधता किया गया डीडी वसूली अधिकारी, डीआरटी-I, दिल्ली के कार्यालय में जमा किया जाएगा।
- यदि अंतिम तिथि समय-सीमा के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है, तो जमा की गई राशि (बिक्री के खर्चों को काटने के बाद) को, यदि अधिकृत अधिकारी उचित समझे, सरकारों खाते में जमा किया जा सकता है तथा भुगतान में चूक करने वाला क्रेता उस संसति या जमा की गई राशि पर अपने सभी दावों से वंचित हो जाएगा। बिक्री की तारीख के तुरंत बाद उस संपत्ति को पुनः बेच दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, खरीदार उस राशि की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जो उसकी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस कोमत पर संपत्ति बेची गई है, उसके बीच के अंतर या कमी के रूप में सामने आती है।
- नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:-

सभी माध्यम से नोटिस की सतिस्	27.06.2026
सम्पत्ति का निश्चिप	10.07.2026
जमा धरोहर राशि के प्रमाण और नीलामी एजेंसी पॉर्टल के दस्तावेज अपलोड करने के साथ मौखिक बोलियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि	27.07.2026
ई-नीलामी की तिथि एवं समय	29.07.2026
15. वसूली अधिकारी के पास किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने, अथवा बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी को रद्दगिफ्त या रद्द करने का पूर्ण अधिकारी है। इस अधिकरण की मुख के साथ मेरे हस्ताक्षर के अधीन, दिनांक 19.05.2026 को जारी किया गया।	

हस्ता./-
रविंद्र कुमार तौमर
वसूली अधिकारी-I,
ऋण वसूली अधिकरण-I, दिल्ली

नई दिल्ली

जनसत्ता

24 जून, 2026

21



ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
(पूर्व में ओरिएन्टल एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
(ओरिक्स सीओ इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड की सहायक कंपनी)
राज्य कार्यालय: प्लॉट नं. 84, मारवा जो-मार्गवेष्ट इंडियापुर एस्टेट, अजमेर-बुर्गो रोड, अजमेर (री), मुंबई - 400069
दूरफ़ोन +91 22 2859 5093 / 6707 9100 , फैक्स +91 22 2852 8545; ईमेल: info@orixindia.com]
www.orix.co.jp , www.orix.com , रजिस्ट्रार U74900MH2006PLC163937

(वित्तीय संघर्षों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) के तहत नोटिस)

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं में ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड से नोबे दिए गए सुखित ऋणों का लाभ उठाना। नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संघर्षियों के ब्यक्त द्वारा सुखित किया गया है। जैसा कि वे संबंधित ऋण समझौते के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और वे अनियमित हो गए थे, उनके ऋणों को आरसीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया था। ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जिसे विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में संविद किया गया है और जक्त राशि पर उनके ब्याज भी लागू होगा और उसी के साथ उनकी संबंधित संघर्षियों से प्रभावी व्यापारिक दूर के अनुसार मुक्त किया जाएगा।

क्र. सं.	ऋण सं. खाता संख्या	ऋण का प्रकार	कर्जदारों के नाम	13(2) सूचना के अनुसार कालावा	नोटिस की तारीख	एनपीए की तारीख
1.	LN0309300915811	एसएफई प्रतिभूति ऋण	1 मैसर्स कुच्चा कुच्चा 2 म्हु नागपाल (सह उधारकर्ता और देवेंद्र कुमार नागपाल की उपलब्ध कानूनी वारिस के तौर पर)	मार्च 26,42,549.06 /-	13.06.2026	05.09.2022

प्रतिभूति संपत्ति का विवरण: फ्री-होल्ड बनी हुई प्रॉपर्टी नंबर 47 का हिस्सा वाली पूरी तीसरी मंजिल का वह समस्त टुकड़ा एवं और उसकी छत / टेरेस के अधिकार (असमान तक), यह प्रॉपर्टी 183.34 वर्ग गज (183.28 वर्ग मीटर) जमीन पर बनी है और सीडीएडब्ल्यू, जो-ओरिगेनड हवास बिल्डिंग (आनंद बिहार, पीएमपुरा, दिल्ली-110034) के लेआउट प्लान में दिखाई गई है। इसमें प्रॉपर्टी के नीचे की जमीन के अनुसार में फ्री-होल्ड अधिकार शामिल हैं। साथ ही, इसमें अलग-अलग बिजली और पानी के मीटर और वातु हस्ता में सीलर कमेशन लगे हैं। इसमें प्रवेश द्वार, रातों रातों और भूतल से दूसरी मंजिल तक जाने वाली सीढ़ियों के इस्तेमाल का साझा अधिकार है, और दूसरी मंजिल से ऊपर तक जाने वाली सीढ़ियों पर मालिकाना हक है। इस संपत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं: पूर्व: प्लॉट नंबर 48, पश्चिम: खुली जगह, छतर सर्विस रोड, दक्षिण: 30 मीटर चौड़ी सड़क।

उपरोक्त तालिका में दिखाए गए विवरणों के अनुसार आपको ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि, उनकी संबंधित संघर्षियों से उस पर अनुमति ब्याज दर और अन्य लागतों, शुल्कों आदि के साथ इस प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है, जिसके विफल होने पर ओरिएन्टल ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड को देय राशि की वसूली के लिए यहां कथित उल्लिखित बकाया संघर्षियों के खिलाफ सरकारी अधिनियम की धारा 19(4) और धारा 14 के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए ब्याज किया जाएगा। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(1) के तहत उक्त प्रतिभूति संपत्ति को बिक्री / पड़े या अन्यथा के माध्यम से स्वामित्व हित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

दिनांक: 23.06.2026
स्थान : दिल्ली

हस्ता /- अधिकृत अधिकारी,
ओरिक्स लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिया लिमिटेड



**कार्यालय : वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, दिल्ली
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001**

T.R.C. NO. 1422/2022

भारतीय स्टेट बैंक बनाम मोहम्मद अय्यूब एवं अन्य

आदेश दिनांकित 15.05.2026 के अनुसार, उक्त वसूली प्रमाण-पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार नीचे वर्णित संपत्ति का सार्वजनिक ई-नीलामी के माध्यम से विक्रय किया जाएगा।

नीलामी बिक्री वेबसाइट <https://baanknet.com> के माध्यम से "ऑनलाइन ई-नीलामी" होगी नीलामी की तिथि एवं समय: 29-07-2026 दोपहर 12:00 बजे दोपहर 01:00 बजे के बीच (यदि आवश्यक हो तो दोपहर 01 बजे के बाद 5 मिनट की अवधि के विस्तार)

संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि
प्रॉपर्टी नंबर डुलेसकर नंबर डी4, ईशान कमर्शियल कोर्ट, खसरा नंबर 221-225 का हिस्सा, दिल्ली-हरिद्वार रोड, रुड़की	रु 32.30 लाख	रु 3.23 लाख

नियम एवं शर्तें

1. बिक्री की सभी शर्तें बैंको तथा वित्तीय संस्थाओं को देय बिक्री की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयाकर अधिनियम, 1961 की धाराएं एवं वित्तीय अनुसूची और आयाकर (प्रमाणपत्र कारंवाई) नियमावली, 1962 के प्रावधानों के तहत होगी तथा सूचना प्रेषितोंकी अधिनियम, 2000 समय समय पर संशोधित द्वारा निदेशित होगी।

2. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है" / "जो है वही है अथवा" पर की जा रही है।

3. सम्पत्ति का निरीक्षण सार्वजनिक बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में दी गई तिथि(यों) पर किया जा सकता है।

4. बोलियाँ बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में दी गई अंतिम तिथि और समय से पहले ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होंगी।

5. बोली के साथ ईएमपी बिक्री सूचना/निविदा दस्तावेज में निर्दिष्टनुसार सलान करनी होगी।

6. ई-नीलामी निर्धारित समय पर तथा उद्यमान प्राप्ता कोटेसन से अधिक पर आरंभ होगी। नीलामी / बोलीदान का समय आरंभ: एक घंटे की अवधि के लिए होगा तथा नीलामी की सम्पत्ति का समय प्रणाली निर्धारित होगा : अंतिम पांच मिनट के दौरान यानी सक्रिय बोली प्रक्रिया में रहते तक कोई बोली आने पर समय रुकें: पांच मिनट आगे बढ़ जाएगा तथा नीलामी बिक्री समय होने तक जारी रहेगा।

7. उद्यमान बोली अनंतिम रूप से "अनुमोदन के अधीन" आधार पर स्वीकार की जाएगी तथा उद्यम्मान बोलीदाता को उसके पक्ष में बिक्री की पुष्टि होने तक सम्पत्ति पर कोई